

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:- / /2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगवती लाल शर्मा पिता/पति शंकर शर्मा निवासी भोड़ पटवार हल्का भोड़ के राजस्व ग्राम भोड़ में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 393, 394, 391 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन भगवती लाल शर्मा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन भगवती लाल शर्मा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। शंकर शर्मा

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

Shankar
तहसीलदार
चित्तौडगढ
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/ 450

दिनांक:- / /2025

निमित,

पटवार हल्का भोड़

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री भगवती लाल शर्मा पिता/पति शंकर शर्मा राजस्व ग्राम भोड़ पटवार हल्का भोड़ की खाता संख्या 393, 394, 391 में जाति/नाम/जिम्मन भगवती लाल शर्मा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम/जिम्मन सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगवती लाल शर्मा पिता/पति शंकर शर्मा की जाति/नाम/जिम्मन भगवती लाल शर्मा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का भोड़ राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ